राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 26/2018

पृथ्वीलाल उर्फ पिरथा उर्फ परथ्या पुत्र श्री रामनाथ जाति मीणा निवासी पापडली तह0 मांगरोल जिला बारां

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड, श्री श्याम स्वरूप पारेता

दायरा दिनांक: 01.05.2018

निर्णय दिनांक : 07.05.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 9 खसरा नं0 64 रकबा 0.21 है0 खसरा नं0 66 रकबा 0.42 है0 खसरा नं0 68 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 85 रकबा 1.25 है0, खसरा नं0 89/120 रकबा 0.18 है0 खसरा नं0 93 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 94 रकबा 0.54 है0 खसरा नं0 98 रकबा 0.47 है0, ग्राम बालापुरा तह0 मांगरोल में स्थित है। व हाल खाता संख्या 10 खसरा नं0 111 रकबा 0.79 है0 ग्राम बालापुरा तह0 मांगरोल हाल खाता संख्या 42 खसरा नं0 285 रकबा 2.69 है0 खसरा नं0 286 रकबा 0.57 है0 खसरा नं0 287 रकबा 0.23 है0 खसरा नं0 290 रकबा 0.01 है0 खसरा नं0 291 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 375 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 583/650 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 587 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 588 रकबा 0.24 है0 ग्राम पापडली तह0 मांगरोल में स्थित है। इसे आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी शामलाती खाते में दर्ज है। वादी का नाम निर्वाचन पहचान पत्र आधार कार्ड जोब कार्ड आदि में पृथ्वीलाल पुत्र रामनाथ दर्ज है। लेकिन सहवन से शामलाती खाते की आराजी में वादी का नाम खाता संख्या 9 व 10 में पिरथा खाता संख्या 42 में परथा नाम अंकित होने से वादी को सरकारी व गैरसरकारी कार्य करने में काफी परेशानी होती है। अतः राजस्व रेकार्ड आराजी खाता संख्या 9 व 10 ग्राम बालापुरा में वादी का नाम पिरथा पुत्र रामनाथ व खाता संख्या 42 ग्राम पापडली में वादी का नाम परथा पुत्र रामनाथ के स्थान पर पृथ्वीलाल पुत्र रामनाथ किये जाने की कृपा करें।

उक्त आश्य का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 01.05.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल के पत्रांक एलआर/2018/ कैम्प उदपुरिया/9 दिनांक 07.05.2018 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड ग्राम बालापुरा जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 9 किता 8 रकबा 3.28 है० व खाता संख्या 10 खसरा नं० 111 रकबा 0.79 है० में वादी पृथ्वीलाल सहखातेदार के रूप में पिरथा पुत्र रामनाथ के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम पापडली जमाबंदी सम्वत 2071–74 की खाता संख्या 42 किता 9 रकबा 5.51 है० में वादी परथ्या पुत्र रामनाथ सहखातेदार दर्ज है। जबकि वादी पृथ्वीलाल उर्फ पिरथा उर्फ परथ्या का जोब कार्ड मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड तथा मुताबिक ग्राम वासियान जानकारी अनुसार भौतिक सत्यापन करने पर तीनो नामो का एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व रेकार्ड में दर्ज पिरथा व परथ्या को उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर पृथ्वीलाल उर्फ पिरथा उर्फ परथ्या दर्ज किया जाना उचित होगा।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर ग्राम बालापुरा तह० मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 9 खसरा नं० 64 रकबा 0.21 है० खसरा नं० 66 रकबा 0.42 है० खसरा नं० 68 रकबा 0.14 है०, खसरा नं० 85 रकबा 1.25 है०, खसरा नं० 89/120 रकबा 0.18 है० खसरा नं० 93 रकबा 0.07 है०, खसरा नं० 94 रकबा 0.54 है० खसरा नं० 98 रकबा 0.47 है० व ग्राम पापडली तहसील मांगरोल में स्थित आराजी जिसके हाल खाता संख्या 10 खसरा नं० 111 रकबा 0.79 है० ग्राम बालापुरा तह० मांगरोल हाल खाता संख्या 42 खसरा नं० 285 रकबा 2.69 है० खसरा नं० 286 रकबा 0.57 है० खसरा नं० 287 रकबा 0.23 है० खसरा नं० 290 रकबा 0.01 है० खसरा नं० 291 रकबा 0.73 है०, खसरा नं० 375 रकबा 0.18 है०, खसरा नं० 583/650 रकबा 0.16 है०, खसरा नं० 587 रकबा 0.70 है०, खसरा नं० 588 रकबा 0.24 है० की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम पिरथा पुत्र रामनाथ व परथा पुत्र रामनाथ के स्थान पर पृथ्वीलाल उर्फ पिरथा उर्फ परथा उर्फ परथ्या पुत्र रामनाथ दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प उदपुरिया मजमेंआम में सुनाया गया।